

Hरत की राजपश्न The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल १, २००१/चैत्र ११, १९३१

No. 601]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2009/CHAITRA 19, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

का.आ. 942(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 0.00 कि. मी. से 381.600 कि.मी., तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और, प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर 108.700 कि.मी. (वडोडरा-भारूच खंड) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) को छह लेन का बनाने और प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए मैसर्स एल एण्ड टी वदोदरा भारूच टोलवै लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय माउंट पूनामाली रोड, चैन्नई-600089 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''रियायतप्राही'' कहा गया है) के साथ करार किया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतविसित व्यय, विनिधान पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के 108.700 कि. मी. से 192.000 कि.मी. (वडोडरा-भारूच खंड) के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन, इनमें से जो पश्चात्वर्ती हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

रियायतग्राही गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 के उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के रतंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस की आधार दर पर संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा ।

फीस 157.750 कि.मी. पर स्थित फीस प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी ।

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	1 अप्रैल, 1997 को लागू आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
	(2)	(3)
(1)	(2)	0.40
1.	कार हल्के वाणिज्यक यान (एल सी वी) या मिनी बस	0.70
2.		1.40
3.	ट्रक/बस	2.25
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :-टिप्पण:- 1)

"फीस" का उक्त सारणी में दी गई आधार फीस की दर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड सड़क प्रयोक्ताओं से वसूल की गई वास्तविक फीस अभिप्रेत है और जो पांच रूपये के (i) निकटतम पूर्णांक में होगी ।

"वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उक्त खंड का वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच (ii) किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के छह लेन पूरा होने पर यथास्थिति पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारम्भ होता है।

"समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा (iii) समाप्त किया जाता है।

"स्थानीय निजी यातायात" से ऐसा निजी यान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत है जो सामान्यतः स्थान पर निवास करता है अथवा काम (iv) करता है जहाँ सामान्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के एक भाग को ही उपयोग करके पहुंचा जा सकता है और इसलिए, उस व्यक्ति के लिए अपने कार्य स्थान अथवा निवास से आने - जाने के लिए यात्रा के सामान्य अनुक्रम में उक्त खंड के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यानों का उपयोग करना अपेक्षित है ।

- (v) "स्थानीय वाणीज्यिक यातायात" से ऐसा वाणिज्यक यान अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत माल और सवारियों को लाने व ले जाने में लगी बस, ट्रक, हल्के मोटर यान या टैक्सियां भी हैं, जो उक्त खंड पर नियमित रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं।
- 2. फीस की रकम और फीस का पुनरीक्षण जो कि प्रति वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा की संगणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:-

आधार फीस X <u>डब्लयू पी आई-बी</u> X उक्त खंड की लम्बाई (किलोमीटर में) डब्लयू पी आई-ए

जहां

*डब्लयू पी आई-ए = मार्च 1997 को थोक कीमत सूचकांक है

*डब्लयू पी आई-बी = फीस पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 31 मार्च को उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है

* वास्तविक फीस पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में वसूल की जाएगी।

3. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में गेट को पार करते समय सारणी में दी गई दरों पर अनेक चक्करों के लिए डेढ़ गुणा फीस का एक ही बार संदाय कर दे या यदि उसी यान को उक्त खंड का पूरे मास में लगातार और बार-बार प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी पूर्वोक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट एक फेरे के लिए उसको लागू दर का तीस गुणा के समतुल्य प्रभारों के संदाय पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए दिन से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।

- 4. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात्:-
 - (i) ऐसे यान -
 - (अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-
 - (क) भारत के राष्ट्रपति;
 - (ख) भारत के उपराष्ट्रपति;
 - (ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल;
 - (घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
 - (इ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनियक;
 - (च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद का सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या संघ अथवा राज्य के मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैंबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों, या

- (छ) सम्पूर्ण देश के संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;
- (आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;
- (ii) रक्षा यान, जिनके अतंर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं;
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।
- 5. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्निलिखित छूट प्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:-

(क) कार/जीप/वैन के लिए

- (i) स्थानीय निजी यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 25 प्रतिशत
- (ii) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 50 प्रतिशत

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात स्वतंत्र उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन उपलब्ध है वहाँ इस पैरा के अधीन रियायत उपलब्ध नहीं होगी।

- िकसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त अनुसूची में सम्मिलित नहीं है ।
- 7. िरयायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने के लिए 10 दिन पहले भी पुनः प्रकाशित भी किया जाएगा ।
- 8. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर बूथों से 500 मी. आगे, पथकर बूथों से 100 मी. आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें ।

9. प्रयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/413/08-09/सी.ओ./जीसी वदोदरा-भारूच बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2009

S.O. 942(E).—Whereas, the Central Government, vide the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport and Highways (Road Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretch from Km 0.00 to Km 381.600 of national highway No. 8 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s L & T Vadodara Bharuch Tollway Ltd. having its registered office at Mount Poonamalle Road, Chennai - 600089 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development to six lane, operation and maintenance of the stretch from Km 108.700 to Km 192.000 (Vadodara – Bharuch section) of National Highway Number 8 (hereinafter referred to as the said stretch);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch of the said National Highways, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km 108.700 to Km 192.000 (Vadodara - Bharuch section) of national highway number 8 in the state of Gujarat at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Commercial operation date or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

13759709-2

SCHEDULE

The Concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the Table' below, for the use of the said stretch of National Highway Number – 8 in the state of Gujarat, at the base rate of fee specified in column (3) of the said Table.

The fee shall be collected at the fee plaza located at Km 157.750.

Table

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km as on 1st April, 1997 (in rupees)
	(2)	(3)
(1)		0.40
$\frac{1}{2}$	Car Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
	or Mini bus	1.40
3	Truck/Bus	
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes:-

- 1. For the Purpose of this notification;
- (i) "fees" means the fees actually charged from the road users of the said section of national highway on the basis of rate of base fee given in the said table and shall be rounded off to the nearest five rupees.
- (ii) "date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said section of the national highway No. 8 in the State of Gujarat begins after the issue of the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, upon completion of six laning of the said section of the said national highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
- (iii) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

- (iv) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle which is registered with the Concessionaire, by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section of national highway and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on a part of the said section in the course of normal travel to and from his place of work or residence;
- (v) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section;
- 2. The amount of fee and the revision thereof effective from 1st July every year shall be calculated as follows:-

Where

*WPI-A = is the Wholesale Price Index on March, 1997.

- *WPI-B = is the Wholesale Price Index on March 31St preceding the fee revision date.
- * The actual fees to be charged shall be rounded off to the nearest five rupees.
- 3. When the same vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and a half times the rates as given in the table above while crossing the toll plaza in the first trip itself or if the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times rate applicable for single trip as application to it as specified in the aforesaid Table.

Explanation: For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

- 4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
- (i) Vehicles-
 - (A) having VIP symbols or officially belonging to:
 - (a) the President of India;
 - (b) the Vice-President of India;

1375 98/09-3

(c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;

(d) a Foreign dignitary on State visit to India;

(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with

"CD"/"CC" number plates;

the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or

(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned

Legislature of a State, as the case may be;

- (B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
- (iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
- 5. Concessionaire shall not collect fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely:-
 - (a) local personal traffic: twenty-five per cent of the fee for the specified category of vehicle;
 - (b) local commercial traffic: fifty per cent of the fee for the specified category of vehicles:

Provided, that where a separate service lane is provided for free use by local traffic, the concessions under this para shall not be available.

- 6. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the said table.
- 7. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also

be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

- 8. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed five hundred meters ahead of the toll booths, one hundred meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.
- 9. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/413/08-09/CO/GC Vadodara-Bharuch BOT] PRABHAKAR, Dy. Secy.